न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 32/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/ 00032)

1. श्रीमती रामकला पत्नी रणसिह जाति जाट निवासी नणाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुभाष पुत्र रणसिह जाति जाट निवासी नणाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती किस्तुरी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी नणाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (फौत)

1/1 रामकुमार पुत्र पतराम नि0 गुड़िया खेड़ा जिला सिरसा।

1/2 भतेरी देवी पुत्री किस्तुरी पत्नी जयसिह जाट नि. गुड़िया खेड़ा सिरसा।

1/3 संतोष पुत्री किस्तुरी पत्नी किशन जाट नि. खेड़ी जिला सिरसा।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार नोहर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री संतनाथ योगी – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 20.08.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर अपील सं. 58/2014 के निर्णय दिनांक 08.10.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट किस्तुरी ने तहसीलदार नोहर के आदेश दिनांक 03.11.08 नामान्तरकरण सं. 1300 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर मे अपील पेश कर उक्त नामान्तरण सं. 1300/400 दिनांक 03.11.08 को निरस्त कर मुताबिक वारिस प्रमाण पत्र विवादित भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के ब. हि. ब. खातेदार दर्ज फरमाने का निवेदन किया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.10.2015 द्वारा अपील स्वीकार कर इन्तकाल सं. 1300 दिनांक 3.11.08 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पालन करते हुए पुनः विधि अनुसार नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट रामकला वगैरह द्वारा यह अपील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.10.2015 को निरस्त कर इंतकाल सं. 1300 दिनांक 03.11.2008 को बहाल रखने का अनुतोष चाहा गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं. 1 किस्तुरी के फौत होने पर उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया तथा उनके वारिसान के निमित साधारण नोटिस, रजिस्टर्ड नोटिस एव अखबार में नोटिस प्रकाशित करवाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि उक्त विवादित भूमि रणसिह के नाम थी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर मे एक दावा उक्त भूमि बाबत प्रस्तुत किया था जो दावा दिनांक 29.10.2010 को खारिज कर दिया गया। उक्त तथ्य को रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है इससे साफ जाहिर है की रेस्पोडेन्ट ने क्लीन हैण्ड से अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत नही की । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 1 की अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी क्योकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य उक्त विवादित भूमि को लेकर विवाद चल रहे थे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 को विवादित इंतकाल की शुरू से जानकारी थी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने गलत तथ्य व गलत शपश पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह किया है डिले कन्डोन का कोई कारण नही था । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश बाबत अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी तथा ना ही अपीलान्ट को नोटिस दिया गया तथा ना ही नोटिस की विधिवत तामील करवाई गई। अपीलान्ट दिनांक 30.04.2018 को तहसील कार्यालय नोहर मे गये तब अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.10.2015 को निरस्त फरमाया जावे तथा इंतकाल सं. 1300 दिनांक 03.11.2008 को बहाल रखा जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुये उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत ननाऊ तहसील नोहर द्वारा प्रतिपादित रणसिह पुत्र रामकुमार के जायज वारिसान क्रमशः किस्तुरी (माता), रामकला (पत्नि), सोनु (पुत्री) व सुभाष (पुत्र) है। रणसिह की मृत्यु दिनांक 23.09.2006 को होने पर रामकला (पत्नि), सोनु (पुत्री) व सुभाष (पुत्र) के नाम नामान्तरकरण संख्या 1300 दिनांक 03.11.2008 को भरा गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा दिनांक 08.10.2015 को पारित निर्णय में इंतकाल संख्या 1300 दिनांक 03.11.2008 को निरस्त किया जाकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की पालना करते हुए पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किए जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा उक्तानुसार पारित निर्णय में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर